

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

निर्णय दिनांक:- 04-12-23

अपील संख्या 120/21
(जीसीएमएस संख्या 2021/223)

1. गोपीलाल पुत्र अनाराम जाति जाट निवासी बाधनू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

-अपीलांत-

-बनाम-

1. प्रभूराम पुत्र श्री सुगनाराम
2. परमेश्वरी पत्नी श्री प्रभूराम
समस्त जाति आचार्य निवासी रानीसर बास तहसील व जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

रेस्पोजेन्ट्स




अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 22-02-2017
उपखण्ड अधिकारी, पूगल

उपस्थिति:-

1. श्री बट्टी ज्याणी, अभिभाषक अपीलांत
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

-निर्णय-

1. अपीलांत ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 22-02-2017 जिसके द्वारा अपीलांत को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।


राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादगत् भूमि चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 178/45 की 25 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 24-05-2003 को किया गया था। वादगत् भूमि पर अपीलांट का आवंटन पश्चात् से ही निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना आवंटन सलाहकार समिति की राय के व बिना वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को जैर अपील अपीलांट की आवंटित/आक्यूपाईड लैण्ड थी तथा शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी ना ही आवंटन योग्य भूमि की श्रेणी की भूमि थी। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।



अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराघात किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को पूर्व में आवंटित व कब्जे काश्त की भूमि रही है ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होन से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरुद्ध जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की

राजस्थान राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट का आवंटन बहाल किया जावे व रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करने के उपरान्त भी वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर उनके विरुद्ध दिनांक 13-07-2022 को एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किये जाने बाबत तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।



उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोंडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ-साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।


7. (1) जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-02-2017 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 27-08-2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन, अपीलांत को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।



(2) हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 178/45 के किला नम्बर 4, 5 व किला नम्बर 1 ता 3, 6 ता 18 कुल 2 बीघा कमाण्ड व 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांत द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांत का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि चक 4 एसएम के मुरब्बा नम्बर 178/45 की 25 बीघा भूमि का आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 24-05-2003 को किया गया था तथा आवंटन पश्चात् से ही वादगत् भूमि पर अपीलांत का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होने से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन निरस्त योग्य होने से निरस्त फरमाया जावे।

(4) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें यह निर्विवाद है कि वादगत् भूमि अपीलांत को वर्ष 2003 में सक्षम आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटित की गई थी। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह स्थिति सामने आती है कि वादगत् भूमि अपीलांत को कमाण्ड/अनकमाण्ड के रूप में आवंटित की गई थी।


राजस्थान हाईकोर्ट
बीकानेर

(5) प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा ना तो वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है ना ही अपीलांट जिसके धारण में भूमि निहित होने पर भी, अपीलांट को ना तो कोई नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

(6) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अपीलांट का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था जैसा की प्रकरण में संबंधित राजस्व अमले द्वारा नहीं किया गया है। जिसके कारण वादगत् भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीरार्ज दर्ज रही तथा वादगत् भूमि का आवंटन आराजीराज दर्ज होने के कारण रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि उक्त दिनांक को वादगत् भूमि शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं होकर अपीलांट की आक्यूपाईड लैंड थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा बिना मौके की रिपोर्ट प्राप्त किये ऐसी भूमि का आवंटन रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया है जोकि शुद्ध रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी।

(7) चूंकि वादगत् भूमि अपीलांट को आवंटित भूमि रही है लिहाजा अपीलांट का पूर्ववर्ती आवंटन बहाल रखा जाना उचित पाते है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन, आवंटन नियमों के विपरीत होने से खारिज किया जाता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22-02-2017 उपखण्ड अधिकारी, पूगल अपीलांट के आवंटन की हद तक निरस्त किया जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 4.12.23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)

राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर